

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वित्त प्रकोष्ठ/2012-13/ 579

दिनांक : 28-3-2013

--:: कार्यालय आदेश ::--

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक F-6(4)FD(Rules)99 दिनांक 14.01.2013 की अनुपालना में राजस्थान आवासन मण्डल में दिनांक 01.01.2004 एवं 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त हुए कार्मिकों को दिनांक 01.04.2013 से, संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में मेडिकल इंश्योरेन्स योजना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि (साधारण बीमा निधि) विभाग द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के साथ लागू की जाती है।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप-शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय पी एण्ड एम, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राज.आवां. मं.....
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज.आवां.मं.....
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. लेखाधिकारी वसूली वृत्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
13. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईड पर डलवाने व सभी को मेल करे।
14. रक्षित पत्रावली


वित्तीय सलाहकार (मु.ले.अ.)